छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त

दिनांक 02 नवम्बर, 2017 के अपराह्न 3:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन में सम्पन्न हुई **कार्य परिषद की आपात** बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुये :–

1.	**प्रो० जे०वी० वैशम्पायन**, कुलपति, सी॰एस॰जे॰एम॰वि॰वि॰, कानपुर	अध्यक्ष
2.	**प्रो० आर० सी० कटियार**, प्रति–कुलपति (आचार्य आई॰बी॰एम॰), सी॰एस॰जे॰एम॰वि॰वि॰, कानपुर	सदस्य
3.	**प्रो० राम गोपाल**, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
4.	**प्रो० नन्द लाल**, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी॰एस॰जे॰एम॰वि॰वि॰, कानपुर	सदस्य
5.	**डॉ० नीरज कुमार सिंह**, उपाचार्य, आई॰बी॰एम॰, सी॰एस॰जे॰एम॰वि॰वि॰, कानपुर	सदस्य
6.	**डॉ० राजेश कुमार**, उपाचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी॰एस॰जे॰एम॰वि॰वि॰, कानपुर	सदस्य
7.	**डॉ० संदीप कुमार सिंह**, उपाचार्य, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा प्रसार विभाग, सी॰एस॰जे॰एम॰वि॰वि॰, कानपुर	सदस्य
8.	**प्रो० सुभाष चन्द्र अग्रवाल**, शिक्षा विभाग, सी॰एस॰जे॰एम॰वि॰वि॰, कानपुर	सदस्य
9.	**प्रो० संजय कुमार स्वर्णकार**, अंग्रेजी विभाग, सी॰एस॰जे॰एम॰वि॰वि॰, कानपुर	सदस्य
10.	**डॉ० निरूपमा अशोक**, प्राचार्या, बी॰ए॰के॰पी॰ कालेज, लखीमपुर–खीरी	सदस्या
11.	**डॉ० शकील अहमद**, प्राचार्य, हलीम मुस्लिम डिग्री कालेज, कानपुर।	सदस्य
12.	**डॉ० एस०पी० शाक्य**, प्राचार्य, आर०एम०पी० कालेज, सीतापुर	सदस्य
13.	**डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप सिंह**, हिन्दी विभाग, वी०जी०एम० पी०जी० कालेज, दिबियापुर, औरैया	सदस्य
14.	**श्री धीरेन्द्र कुमार तिवारी**, वित्त अधिकारी, सी॰एस॰जे॰एम॰वि॰वि॰, कानपुर	---
15	**डॉ० श्यामबाबू गुप्त**, निदेशक, दीनदयाल शोध केन्द्र, सी॰एस॰जे॰एम॰वि॰वि॰, कानपुर	विशेष आमंत्रित सदस्य
16.	**श्री राम चन्द्र अवस्थी**, कुलसचिव, सी॰एस॰जे॰एम॰वि॰वि॰, कानपुर	सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने कार्य परिषद के उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया एवं कार्यकाल समाप्त कर चुके सदस्य डॉ० के०एम० सचदेवा, वाणिज्य विभाग, डी॰एन॰पी॰जी॰ कालेज, फतेहगढ, फर्रूखाबाद को कार्य परिषद में उनके योगदान के लिये धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।

मद सं. 1: **संस्कृति मन्त्रालय भारत सरकार से पं. दीनदयाल उपाध्याय शताब्दी वर्ष के आयोजन हेतु प्राप्त ग्रान्ट के उपयोग एवं गतिविधियों पर विचारार्थ।**

परिषद ने संस्कृति मन्त्रालय भारत सरकार से पं0 दीनदयान उपाध्याय शताब्दी वर्ष के आयोजान हेतु प्राप्त ग्रान्ट के उपयोग एवं गतिविधियों पर विचार करते हुये निर्मित प्रारूप के आयोजन पर एवं उसके लिये प्रस्तावित आयोजन समिति को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्य परिषद की बैठक दिनांक 02.11.2017 के अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

मद सं०–1: शासन के पत्र–975 / सत्तर–1–2016–16(74) / 2016 दिनांक 26 सितम्बर, 2016 द्वारा स्वीकृत शुल्क अध्यादेश प्रारूप को वर्ष 2017–18 से स्वीकृत किये जाने पर विचार।

शासन के पत्र–975 / सत्तर–1–2016–16(74) / 2016 दिनांक 26 सितम्बर, 2016 द्वारा पूर्व स्वीकृत शुल्क अध्यादेश प्रारूप को सत्र 2017–18 से लागू करने हेतु सर्वसम्मति से कार्यपरिषद द्वारा स्वीकार किया गया तथा शासन को अध्यादेश प्रारूप स्वीकृत करने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया :–

जबकि विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं एवं प्रशासनिक व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क लिया जाना आवश्यक है। विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी निम्नवत् अध्यादेश निर्मित / बनाते / संरचित करते है।

1 विश्वविद्यायल कानपुर, की कार्य परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यायल अधिनियम 1973 की धारा– 7(14), 21(III) 21(VIII), 51(2)(j), व धारा– 52(3)(C) द्वारा प्राप्त शक्तियों के अधीन अनुमोदित करती है।

क्रम सं०	कक्षा	संकाय / पाठ्यक्रम	परीक्षा शुल्क (रूपये में) (प्रति परीक्षा)	प्रायोगिक / मौखिक परीक्षा (अतिरिक्त) रूपये में
1.	स्नातक	कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि	रू0 685 / –	रू0 100 / –
2.	परास्नातक	कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि	रू0 835 / –	रू0 100 / –
3.	बी0एड0		रू0 1300 / –	–
4.	एम0एड0		रू0 1700 / –	–
5.	एल0एल0बी0 व बी0ए0 एल0एल0बी0		रू0 1020 / –	–
6.	एम0एससी0	समस्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम– (गणित, भौतिकी, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व रसायन विज्ञान को छोड़कर)	रू0 1500 / –	–
7.	बी0एससी0	नर्सिंग– पोस्ट बेसिक	रू0 1000 / –	–
8.	बी0एससी0	नर्सिंग– चार वर्षीय पाठ्यक्रम	रू0 3000 / –	–
9.	एम0बी0बी0एस0		रू0 7500 / –	–
	बी0ए0एम0एस0 / बी0यू0एम0एस0		रू0 7500 / –	–
	बी0डी0एस0		रू0 7500 / –	–
10.	एम0सी0एच0 / पी0जी0 डिप्लोमा (मेडिकल)		रू0 10,000 / –	–
11.	एम0डी0 / एम0एस0		रू0 11,500 / –	–
12.	डी0एम0		रू0 15,000 / –	–
13.	विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालयों में संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रम बी0एससी0 (कृषि) को छोड़कर		रू0 1500 / –	–
14.	विश्वविद्यालय परिसर के वार्षिक पाठ्यक्रम		रू0 3000 / –	–
15.	व्यक्तिगत परीक्षा	स्नातक	रू0 1200 / –	–
16.	व्यक्तिगत परीक्षा	परास्नातक	रू0 1500 / –	–
17.	बैक पेपर		रू0 500 / – प्रति पेपर	

2. इस अध्यादेश/नियम/विधान के प्रभावी होने के पूर्व विद्यार्थियों से/को लिए गये/प्रदान कये गये कम या अधिक अतिरिक्त शुल्क इस अध्यादेश/नियम/विधान के आधार पर सिवाय मा0 न्यायालय के अन्यथा आदेश के न तो वसूल किये जायेगें और न ही वापस किये जायेगें

3. अधिनियम की धारा 52(3)(C) के अन्तर्गत इस अध्यादेश का प्रारूप मा0 कुलाधिपति को सम्पेषित किये जाने के पूर्व राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।

मद सं०–2: **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति सम्बन्धी न्यूनतम अर्हतायें एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण सम्बन्धी उपाय) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2016 को उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 124/70–1–2017–16(114)/2016 टी0सी0, दिनांक 08.04.2017 के द्वारा विश्वविद्यायल के परिनियमों में समाहित किये जाने पर विचार।**

परिषद ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति समबन्धी न्यूनतम अर्हतायें एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण सम्बन्धी उपाय) की अधिसूचना दिनांक 13 जून, 2013, अधिसूचना दिनांक 04 मई, 2016 तथा अधिसूचना दिनांक 11 जुलाई, 2016 द्वारा किये गये संसोधनों को उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 124/70–1–2017–16(114)/2016 टी0सी0, दिनांक 08.04.2017 के कम में विश्वविद्यायल के परिनियमों में समाहित किये जाने पर समिति की आख्या को स्वीकार किया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(प्रो० जे०वी० वैशम्पायन)
कुलपति/अध्यक्ष

(राम चन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव/सचिव